

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- मुख्य प्रशासक,  
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर  
विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

2- आयुक्त,  
गढ़वाल/कुमायूं मण्डल  
पौड़ी/नैनीताल।

2- उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण  
उत्तराखण्ड।

3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग  
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2019

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्राविधानों के सापेक्ष शिथिलता प्रदान किए जाने के आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-888/V/2013-55(आ0)/2006 टी0सी0 दिनांक 12 जून, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के भाग-1 प्रस्तर-1.2.3 एवं 1.2.4 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त उपविधि के मानकों के सापेक्ष शिथिलता दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के भाग-1 प्रस्तर-1.2.3 एवं 1.2.4 के प्राविधानों के शिथिलता दिए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -


1. भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के सापेक्ष वांछित शिथिलीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन संबंधित प्राधिकरण तथा ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (यथा गढ़वाल मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल, देहरादून तथा कुमाऊ मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी) को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल, देहरादून (गढ़वाल मण्डल से आच्छादित प्राधिकरण) तथा क्षेत्रीय कार्यालय कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी (कुमाऊ मण्डल से आच्छादित प्राधिकरण) द्वारा संबंधित प्रकरणों पर अपनी तकनीकी आख्या/अभिमत मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. संबंधित प्राधिकरण द्वारा शिथिलीकरण के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा। उक्त बोर्ड की बैठक में संबंधित प्रकरण पर मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी आख्या/अभिमत भी बोर्ड के सम्मुख रखी जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर न्यूनतम मानक के सापेक्ष शिथिलीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की स्पष्ट संस्तुति सहित प्राधिकरण का अभिमत एवं नगर नियोजक के अभिमत को सम्मिलित करते हुए सारगर्भित, तथ्यात्मक एवं स्पष्ट प्रस्ताव उडा के माध्यम से निम्न निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा -

| 1        | 2  | 3                         | 4  | 5  | 6                  | 7   |
|----------|--|---------------------------|--|--|--------------------|---|
| क्रम सं० | वांछित शिथिलीकरण यथा भूखण्ड क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग, भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, पार्किंग आदि | उपविधि में निर्धारित मानक | उपविधि में निर्धारित मानक के सापेक्ष शिथिलता | मुख्य नगर नियोजक का स्पष्ट अभिमत/ संस्तुति | प्राधिकरण का अभिमत | क्लम 5, 6 में शिथिलता हेतु प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक के बोर्ड के अभिमत के संबंध में। |

4. उपरोक्तानुसार उडा द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित प्रस्ताव पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

भवदीय,


  
(नितेश कुमार झा)  
सचिव

संख्या-467/V-2/2019-13(एल०यू०सी०)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 3- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
- 4- सहयुक्त नियोजक, कुमायू सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी।
- 5- एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव